

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 863 / जयपुर/199 2001-2002

यह प्रमाणित किया जाता है कि नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा
समिति, ग्राम - नवरंगपुरा, तहसील-पिराठगार जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 19 माह नवम्बर सन ~~एक हजार नौ सौ दो हजार एक~~
को जयपुर में किया गया।



(मुनील चौधरी)
रजिस्ट्रार संस्था

जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 374969

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

क्रमांक

दिनांक-20.02.2023

दिनांक 20.02.2023 को विधान में किये गये संशोधन का तुलनात्मक विवरण

विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान के अनुसार वर्तमान नियम	विधान में संशोधन किया गया नया नियम
धारा	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति विधान 1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति है व रहेगा। 2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय- नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला तक सीमित होगा। 3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- 1. बालकों में शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने हेतु शिक्षा का विस्तार करना। 2. वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के प्रति क्षेत्र में आकर्षण पैदा करना। 3. साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन करना। 4. विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शीघ्रलिपि टंकण एवं कम्प्यूटर कोर्स करवाना। 5. राष्ट्रीय एकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाबन्दी आदि कार्यक्रमों को लागू करना। 6. गरीब अनाथ, अपाहिज, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों को सस्ती एवं उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहना। 7. छात्रों को स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए समय समय पर चिकित्सा जांच शिविर व्यायाम व खेल भावना का विकास करना। 8. शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर से सीनियर तक विद्यालय एवं स्नातक, स्नातकोत्तर तक महाविद्यालय, तकनीकी इंजीनियरिंग मेडिकल, प्राकृतिक चिकित्सा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बीएड, एसटीसी एवं रोजगारोन्मुख अन्य	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति विधान 1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति है व रहेगा। 2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय- नवरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जयपुर है। इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य तक सीमित होगा। 3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:- 12. 1 से 11 यथावत 13. संस्था द्वारा स्पेशल एबलड पर्सनस व पर्सनस विद डिस्पेबिलिटी के हितों को ध्यान में रखते हुए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त कर विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करना जैसे- स्पेशल एज्युकेशन में एम.एड. / बी.एड. / डी.एड. / डिप्लोमा / एम.ए. / बी.ए.एस.एल. पी. / एम.फिल. बिलीनिकल साईकोलॉजी / रिहैबिलिटेशन साईकोलॉजी / हियरिंग इम्पेयरमेंट ए विज्युअल इम्पेयरमेंट, नेन्टल रिटार्डेशन, ऑडियोलॉजी व स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मल्टिपल डिस्पेबिलिटी, सैरिबल प्रॉल्सी, रिहैबिलिटेशन थैरेपी, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, लर्निंग डिस्पेबिलिटी, इण्डियन साइन लैंग्वेज इत्यादि। 14. एम.एड. हॉस्पिटल, युनिवर्सिटी, फायर, स्पेशल डी.एल. एड. स्पेशन बी.एड., स्पेशल स्कूल, आई.टी.आई. कॉलेज, बी.पी.एड. कॉलेज, एम.पी.एड. कॉलेज, शारीरिक शिक्षा के सभी कोर्स, एम.एड. पी.एच.ई.डी. जनरल एज्युकेशन- आई.टी.बी.पी. आई.टी.ई.पी. बी. एड., डी.एल.एड., इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम बी.ए. बी.एड. बी.एस.सी. बी.एड., बी.ए., बी.एस.सी. एम.ए., एम. एस. सी. पी.एच.डी.वाई.टी., पी.जी.डी.वाई.टी., सी.वाई.ई.डी.,

लिम/रो
अध्यक्ष

अभिप

पुष्पराज
कोषाध्यक्ष



Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संस्थाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करना। 9. यूनीसेफ, नोराड, स्टेप, कपार्ट, डीआरडीए, खादी ग्रामोद्योग खेल विभाग, मानवसंसाधन विकास मंत्रालय एवं अन्य देशों द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। 10. महिलाओं/बुद्धों/निशक्तजनों/विकलांग, बेसहारा, जनता आदि से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना एवं ऐसे कार्यक्रम योजनाओं को चलाकर सहभागिता उपलब्ध करना। 11. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंक, पंजीकृत वित्त संस्थाओं से अपनी चल अचल संपत्ति कय करने एवं भवन निर्माण इत्यादि हेतु धन उधार लेगी। इस सुविधा के लिए संस्था अपनी चल अचल संपत्ति को दृष्टि बंधक रख सकेगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा। 4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:- 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो। 2. बालिग हो। 3. पागल व दीवालिया न हो। 4. संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रुचि रखते हो। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो। 5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे- 1 संरक्षक 2 विशिष्ट 3 सम्माननीय 4 साधारण 6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा- 1. संरक्षक राशि 1100/रुपये वार्षिक/आजन्म 2. विशिष्ट राशि 55/रुपये वार्षिक/आजन्म	फायर सेफ्टी, एम.ए., एम.एड. दिव्यांग मुखमदीर मंद बुद्धि बच्चों को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण चलाना। 15. पैरा मेडिकल कॉलेज, योगा पीजीडीसीए कॉलेज, पशुधन सहायक कॉलेज व लॉ कॉलेज का संचालन करना। 16. विशेष शिक्षा- विकलांगों एवं निशक्तजनों (मूक, बधिर, मंद बुद्धि, नेत्रहीन अस्थि) हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना। 17. चिकित्सा:- प्राणी मात्र के लिए निःशुल्क अथवा सःशुल्क (लागत कीमत पर) चिकित्सा व्यवस्था करना, सभी प्रकार की चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खोलना एवं उसको चलाना, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान कराना तथा किसी भी प्रकार के औषधालय, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, हौम्योपैथिक, प्राकृतिक, यूनानी अथवा अन्य किसी पद्धति से चिकित्सा साधनों की उपलब्धि कराना। इसके लिए अस्पतालों, दवाखानों, नर्सिंग होम, सैनिटोरियम अथवा अन्य संस्थाओं जिनके द्वारा चिकित्सा सुविधा तथा निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जा सके, को वित्तीय सहायता देना या उन्हें स्थापित करना और चलाना ब्लाड बैंक खोलना एवं चलाना। 18. तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थायें:- जैसे इन्जिनियरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्ट इन्जिनियरिंग कॉलेजों, एम.बी.ए., एम.सी.ए. होटल मैनेजमेंट, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेजों, वेटनरी कॉलेजों, आयुर्वेदिक कॉलेज, यूनानी कॉलेजों, फिजियोथैरेपी कॉलेजों, होमोपैथिक कॉलेजों, जनरल नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग, वेटनरी नर्सिंग कॉलेजों, बी. एड. कॉलेजों, एस.टी.सी. कॉलेजों, पोलोटेक्निक डिग्री कॉलेजों, विधि कॉलेज, ए.एन.एम. सेंटर, जी.एन.एम., पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, एम. एड. कॉलेज, डी फार्मसी, बी फार्मसी, एम. फार्मसी कॉलेज आदि। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा। 4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:- 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हो। 2. बालिग हो।
---	--

13/12/20
अध्यक्ष13/12/20
सचिवपुनः
काषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

3. सम्माननीय राशि 25/रुपये 4. साधारण राशि 10/रुपये वार्षिक उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रुपये 100 मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी। 7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:- 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग पत्र देने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। 8. संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। 9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे:- 1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा।) 10. साधारण सभा की बैठकें :- 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों	3. पागल व दीवालिया न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में आस्था, रूचि रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों। 5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे- 1 संरक्षक 2 विशिष्ट 3 सम्माननीय 4 साधारण 6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा- 1. संरक्षक राशि 1100/रुपये वार्षिक/आजन्म 2. विशिष्ट राशि 55/रुपये वार्षिक/आजन्म 3. सम्माननीय राशि 25/रुपये 4. साधारण राशि 10/रुपये वार्षिक उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रुपये 100 मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी। 7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:- 1. मृत्यु होने पर। 2. त्याग पत्र देने पर। 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। 8. संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। 9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न होंगे:- 1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबंध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व
--	---

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

का 1/3 (एक तिहाई) होगा।	पुष्टि करना।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।	4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा।)
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।	10. साधारण सभा की बैठकें :- 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 (एक तिहाई) होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।	5. संस्था के 1/3 (एक तिहाई) अथवा 15 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
11. कार्यकारिणी का गठन :- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे	11. कार्यकारिणी का गठन :- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया गया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे
1. अध्यक्ष एक	1. अध्यक्ष एक
2. सचिव एक	2. सचिव एक
3. कोषाध्यक्ष एक	3. कोषाध्यक्ष एक
4. उपाध्यक्ष एक	
5. सदस्य बारह	
6. प्राचार्य एक	
7. अभिभावक प्रतिनिधि एक	
8. अध्यापक प्रतिनिधि एक	
9. व्याख्याता एक	
इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 08 पदाधिकारी व 12	

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
 Designation: REGISTRAR
 Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
 Reason: Approved
 Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

सदस्य कुल 20 सदस्य होंगे। 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :- - संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 02 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। - चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। - चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे- - सदस्य बनाना/निष्कासित करना। - वार्षिक बजट तैयार करना। - संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना। - वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना। - साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। - कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। - अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। 14. कार्यकारिणी की बैठक :- - कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। - बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। - बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।	- उपाध्यक्ष एक - सदस्य बारह - प्राचार्य एक - अभिभावक प्रतिनिधि एक - अध्यापक प्रतिनिधि एक - व्याख्याता एक इस प्रकार प्रबंध कारिणी में 08 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 20 सदस्य होंगे। 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :- - संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 02 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। - चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। - चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी। 13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे- - सदस्य बनाना/निष्कासित करना। - वार्षिक बजट तैयार करना। - संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना। - वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना सेवा मुक्त करना। - साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। - कार्यव्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। - अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना। 14. कार्यकारिणी की बैठक :- - कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री
--	---

12/10
अध्यक्ष

Meer
सचिव

पुनः 12-10
का.पा.अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 19:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे। जो पूर्ण एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा। 15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :- 1 अध्यक्ष :- - बैठकों की अध्यक्षता करना। - मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। - बैठके आहुत करना। - संस्था का प्रतिनिधित्व करना। - संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 2 उपाध्यक्ष :- - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। - प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3 मंत्री:- - बैठकों आहुत करना। - कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना। - आय-व्यय पर नियंत्रण करना। - वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। - संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों	द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। - बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। - बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। - कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे। जो पूर्ण एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा। 15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :- 1 अध्यक्ष :- - बैठकों की अध्यक्षता करना। - मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। - बैठके आहुत करना। - संस्था का प्रतिनिधित्व करना। - संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 2 उपाध्यक्ष :- - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। - प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3 मंत्री:- - बैठकों आहुत करना।
---	--

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 17:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना। 4 उपमंत्री :- 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी अथवा मंत्री द्वारा सौंपे जावें। 5 कोषाध्यक्ष :- 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना। 16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :- 1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों में सुरक्षित रखी जावेगी। 2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा। 17. कोष संबंधित विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे। 1. अध्यक्ष - 50,000/रुपये। 2. मंत्री - 30,000/रुपये।	2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना। 3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उसके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। 5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. संपत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना। 4 उपमंत्री :- 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी अथवा मंत्री द्वारा सौंपे जावें। 5 कोषाध्यक्ष :- 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना। 16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :- 1 चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सुरक्षित की जावेगी। 2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा। 17. कोष संबंधित विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी
---	--

LM/Ro
अध्यक्ष

Meer
सचिव

पु.श.प.
कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
Reason: Approved
Location:



नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति

पता-नवरंगपुरा, तह. विराटनगर, जयपुर

3. कोषाध्यक्ष- 20,000 /रुपयें। उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी। 18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों - जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। 19. संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। 20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति संस्था के उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। 21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर एवं संस्था के वित्तिय संस्थाओं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति जयपुर की मूल प्रति है।	संस्था की राशि संस्था एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे। 1. अध्यक्ष - 50,000 /रुपयें। 2. मंत्री - 30,000 /रुपये। 3. कोषाध्यक्ष- 20,000 /रुपयें। उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी। 18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों - जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे। 19. संस्था के विधान में परिवर्तन परिवर्द्धन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। 20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति संस्था के उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। 21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर एवं संस्था के वित्तिय संस्थाओं को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति जयपुर की मूल प्रति है।
---	---

11/10
अध्यक्ष

सचिव

पुनः
कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.04.06 14:56:02 IST
Reason: Approved
Location:





राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 863/JAIPUR/2001-2002

दिनांक / DATE- 31-01-2023

NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI जिला जयपुर राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड में संधारित किया जाता है।

NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI DISTRICT Jaipur IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		AMIR SINGH	MALE	PRACHARYA		05/07/1980
2		Anju Sindhu	FEMALE	MEMBER		25/02/1999
3		Bablu Gurjar	MALE	MEMBER		15/07/1997
4		Bheem Sahan Gurjar	MALE	SECRETARY		05/06/1977
5		Dhanna Ram Kumhar	MALE	MEMBER		01/07/1978

Signature valid

Digitally signed by Amrabbh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.01.31 22:48:46 IST
Reason: Approval
Location: Jaipur



Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Dharpal	MALE	MEMBER		05/01/1999
7		Gajpal Singh Gurjar	MALE	TEACHER REPRESENTATIVE		15/05/1989
8		Jairam Saini	MALE	VICE PRESIDENT		03/01/1981
9		Jayram Gurjar	MALE	PARENT REPRESENTATIVE		01/06/1979
10		Kripa Devi Gurjar	FEMALE	MEMBER		20/06/1994
11		Mahesh Singh Sindhu	MALE	MEMBER		06/06/1984
12		Monika Gurjar	FEMALE	MEMBER		25/01/1992
13		Prakash Chand Gurjar	MALE	TREASURER		03/08/1974
14		Ramkaran Prajapat	MALE	MEMBER		08/07/1985
15		Ramsharan Gurjar	MALE	PRESIDENT		24/10/1959
16		Ramsharan Gurjar	MALE	MEMBER		15/07/1984
17		Rohit Agrawal	MALE	LECTURER		20/06/1986
18		Sumitra Gurjar	FEMALE	MEMBER		05/10/1997
19		Vikram Kumar Gurjar	MALE	MEMBER		02/01/1997
20		Vikram Sankhla	MALE	MEMBER		13/07/1996

नोट- इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।



Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.01.31 22:48:46 IST
Reason: Approval
Location: Jaipur